सं. 391-63/2015-एसटीजी-III
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

कमरा नं. 419, संचार भवन,
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 13.4.2017

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
बीएसएनएल
नई दिल्ली.

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम, 1972 के नियम 37 के अंतर्गत बीएसएनएल में तत्काल आमेलन के आधार पर भर्ती ।

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 31.3.87 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4 (12)85/पी एंड पीडब्ल्यू में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार तत्काल आमेलन के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1972 के नियम 37 के अंतर्गत आईटीएस समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों के बीएसएनएल में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से स्थायी आमेलन करने के बारे में राष्ट्रपति के अनुमोदन को सूचित करने का निदेश हुआ है ।

क्र.सं.	**स्टाफ संख्या**	**अधिकारी का नाम(श्री)**	**तकनीकी इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख**
1.	2277	अशोक पुरोहित	24.11.2016
2.	8023	सत्यानंद नायक	24.11.2016
3.	8055	प्रदीप कुमार होटा	24.11.2016
4.	8175	पीयूष खरे	24.11.2016
5.	8225	उदय शंकर पांडा	24.11.2016
6.	8263	सुशील के मिश्रा	24.11.2016
7.	9658	रमाकांत शर्मा	24.11.2016
8.	20012	प्रकाश गोपलानी	24.11.2016
9.	20114	संजीव सिंघल	28.12.2016
10.	21165	ओम प्रकाश खत्री	10.3.1017

2. **लागू होने की तारीख:** स्थायी आमेलन सरकारी सेवा से तकनीकी इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा । अधिकारी को किसी भी स्थिति में दूरसंचार विभाग में अपने स्थायी पद पर वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. **पेंशन/उपदान:**

(i) अधिकारी को सरकार के अंतर्गत प्रदत्त सेवा के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान मिलेगा । साथ ही वह अपनी पेंशन का 40 प्रतिशत तक सारांक्षीकरण करने के लिए पात्र होगा ।

(ii) **सेवानिवृत्ति लाभों की गणना-** सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन की गणना केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार की जाएगी ।

टिप्पणी:-

इस मामले में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के वे लाभ स्वीकार्य नहीं है जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 26.8.1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/7/77-स्थापना (क) द्वारा जारी किए गए थे और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1972 के नियम 48-क में सान्निहित हैं ।

(iii) **सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की तारीख:** अधिकारी को पेंशन का विकल्प देने की स्थिति में स्थायी आमेलन की तारीख के तुरंत बाद, पेंशन के बदले में सेवानिवृत्ति उपदान और एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा । केन्द्र सरकार के अंतर्गत सेवा की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से मासिक पेंशन की राशि, जहां भी लागू होगी, का भी भुगतान किया जाएगा ।

(iv) **उपदान की कुल राशि के रूप में सीमा:** भारत सरकार और बीएसएनएल के अंतर्गत प्रदत्त सेवा के संदर्भ में कुल स्वीकार्य उपदान की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो अधिकारी को उस स्थिति में प्राप्त होती यदि वह सरकारी सेवा में बना रहता और उसी समान वेतन के साथ सेवानिवृत्त होता जो उसने बीएसएनएल से सेवानिवृत्त होने पर की थी ।

4. **एक मात्र स्रोत से स्वीकार्य परिवार पेंशन**

(i) बीएसएनएल में अधिकारी का स्थायी आमेलन होने पर, उसका परिवार केन्द्र सरकार के अंतर्गत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के लिए तभी पात्र होगा यदि बीएसएनएल में कोई पारिवारिक पेंशन योजना न हो या फिर वह बीएसएनएल में उपलब्ध पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र न हो या बीएसएनएल की पारिवारिक पेंशन योजना की राशि के लिए अधिकारी ने बीएसएनएल के माध्यम से दिए गए औपचारिक आवेदन के आधार पर उसे केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विशेष छूट दी गई हो । अन्य सभी परिस्थितियों में, अधिकारी को बीएसएनएल की पारिवारिक पेंशन योजना में अनिवार्य रुप से सम्मिलित किया जाएगा ।

(ii) पारिवारिक पेंशन की राशि के संदर्भ में केन्द्र सरकार की देनदारी बीएसएनएल में स्थायी आमेलन की तारीख तक रोकी जाएगी और इसका आकलन स्थायी आमेलन की तारीख के अनुसार आहरित वेतन और नियमों के अनुसार किया जाएगा । पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों की पात्रता को उस समय लागू केन्द्र सरकार के नियमों/आदेशों के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

(iii) पारिवारिक पेंशन केवल एक ही स्रोत से स्वीकृत होगी अर्थात या तो केन्द्र सरकार से या बीएसएनएल से उक्त पेंशन दोनों जगह से नहीं ली जा सकती ।

सं.391-63/2015-एसटीजी-III   दिनांक 13 अप्रैल 2017

टिप्पणी: यदि अधिकारी स्थायी नहीं हैं और उसके पास आमेलन की तारीख तक 10 साल से कम अर्हक सेवा नहीं है तो उसका परिवार केन्द्र सरकार की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा ।

5. **आमेलन पर वेतन-निर्धारण:** अधिकारी अपनी परिलब्धियों को तय कराने के लिए बीएसएनएल के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होगा । आमेलन होने पर बीएसएनएल के अन्य अधिकारियों के समकक्ष का दर्जा प्राप्त करेगा और सभी मामलों में उस पर बीएसएनएल के नियम लागू होंगे ।

6. **अवकाश:** अधिकारी सरकारी सेवा से इस्तीफे की स्वीकृति के समय अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए पात्र होगा जो अधिकतम 300 दिनों के आधार पर होगा । उसको कोई अर्ध वेतन छुट्टी नहीं मिलेगी ।

7. **स्थायी आमेलन के पश्चात् लाभ:** बीएसएनएल में अधिकारी को उसके स्थायी आमेलन की तारीख से की गई सेवा की अवधि के लिए वे सभी लाभ-मिलेंगे जो बीएसएनएल के संबंधित कर्मचारियों के लिए स्वीकृत हैं और सभी मामलों में बीएसएनरएल के नियम लागू होंगे ।

8. **भविष्य निधि:** सामान्य भविष्य निधि खाते में उक्त अधिकारी के अंशदान की राशि के साथ बकाया ब्याज को उनकी सहमति से बीएसएनएल के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा । यदि बीएसएनएल के पास भविष्य निधि योजना या बीएसएनएल में भविष्य निधि योजना प्रचलन में न हो अथवा बीएसएनएल की भविष्य निधि योजना में अन्य भविष्य निधियों से शेष राशि को स्वीकार करने का प्रावधान न हो तो शेष सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) का भुगतान उन्हें नकद रूप में किया जाएगा । भविष्य निधि की शेष राशि के अन्तरण के पश्चात अधिकारी पर बीएसएनएल में प्रचलित भविष्य निधि के नियम लागू होंगे और भारत सरकार के भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे ।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
निदेशक(स्टाफ)
दूरभाष: 23036645

प्रति:

1. संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/सचिव (टी)/सदस्य (एस), टीसी-ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
2. संबंधित अधिकारी ।
3. अवर सचिव (पेंशन)/एओ (पीएफपी)/एओ (वित्त) ।
4. एओ, एसटीजी-1/अधिवक्ता (एचआरडी) के कंपनी सचिव ।
5. अतिरिक्त/आदेश बंडल ।
6. निदेशक(IT) को, इसे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर upload करने हेतु ।

13.04.17

(चंदन कुमार)
अनुभाग अधिकारी (एसटीजी-III)
दूरभाष: 23036876